संख्या- 16 /2025/ 35/चार-2025-1886120

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 13 जनवरी, 2025**

विषय:- स्वतन्त्रता दिवस-2024 के अवसर पर 5-कालीदास मार्ग, लखनऊ पर सम्पन्न कलाकार सम्मान समारोह के आयोजन पर हुए वास्तविक व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 3920/सं0नि0-15(26)/2024-25, दिनांक 02 जनवरी, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वतन्त्रता दिवस-2024 के अवसर पर 5-कालीदास मार्ग, लखनऊ पर सम्पन्न कलाकार सम्मान समारोह के आयोजन पर हुए वास्तविक व्यय की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार स्वतन्त्रता दिवस-2024 के अवसर पर 5-कालीदास मार्ग, लखनऊ पर सम्पन्न कलाकार सम्मान समारोह के आयोजन पर हुए वास्तविक व्यय धनराशि **रू0 9,33,431/-(रू0 नौ लाख तैंतीस हजार चार सौ इकतीस मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिका के अनुसार प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

	कलाकार सम्मान समारोह (5, कालीदास मार्ग, लखनऊ।)			
क्र.सं.	कलाकार/फर्म का नाम			धनराशि
1.	सुश्री दिल कुमारी तमांग	सिक्किम	पुरस्कार राशि	11000
2.	सुश्री रितिका	जम्मू कश्मीर	- तदैव -	11000
3.	मो0 यासीन	जम्मू कश्मीर	- तदैव -	11000
4.	श्री मृदुल बरूआ	असम	- तदैव -	11000
5.	श्री गोपाल भाई बम्भा	गुजरात	- तदैव -	11000
6.	श्री हेमंग व्यास	गुजरात	- तदैव -	11000
7.	श्री अमोल माधव जाधव	महाराष्ट्र	- तदैव -	11000
8.	श्री मनीष सिसोदिया	मध्य प्रदेश	- तदैव -	11000
9.	सुश्री पूजा श्रीवास्तव	मध्य प्रदेश	- तदैव -	11000
10.	सुश्री मोहिनी	ललितपुर	- तदैव -	11000
11.	सुश्री अराधना गौतम	अयोध्या	- तदैव -	11000
12.	सुश्री सुप्रिया सिंह रावत	प्रयागराज	- तदैव -	11000
13.	सुश्री जया सक्सेना	मथुरा	- तदैव -	11000
14.	श्री जीतेन्द्र कुमार चौरसिया	महोबा	- तदैव -	11000
15.	श्री विजय वीर विक्रम बहादुर	अयोध्या	- तदैव -	11000
16.	श्री ज्ञानदत्त बाजपेई	लखनऊ	- तदैव -	11000
17.	श्रीमती अल्का निवेदन	लखनऊ	उद्घोषणा	5000
18.	मे0 यू0पी0 हेण्डीक्राफ्ट, लखनऊ।	83-4112	14.08.2024	9048
19.	मे0 यू0पी0 हैण्डीक्राफ्ट, लखनऊ।	83-4113	15.08.2024	65355
20.	मे0 यू0पी0 हेण्डीक्राफ्ट, लखनऊ।	83-4114	15.08.2024	785
21.	मे0 अरोरा डेकोरेटर्स, लखनऊ।	AD/PA/08	26.08.2024	23565
22.	मे0 बनारसी टेन्ट एण्ड फर्नीचर हाउस, लखनऊ।	PA/BTH	26.08.2024	19274
23.	मे0 आदित्य इन्टरप्राइजेज, लखनऊ।	Oct/2024/002	04.10.2024	534664

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

24.	मे0 भाग्यम इन्टरटेनर, लखनऊ।	BE/2023-011	04.10.2024	99740
	कुल योग (रूपया नौ लाख तैंतीस हजार चार सौ इकतीस)			933431

3. शर्तो/ प्रतिबन्ध -

(1) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले लोक कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार कराया जायेगा।

(4) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(8) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय- 24-एक भारत श्रेष्ठ भारत-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या - 16 /2025 / 35(1)/चार-2025-1886120 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।